न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2023 / 363 दर्ज तिथिः—20.12.2023

प्रार्थी		अप्रार्थी
बाबूलाल पुत्र हुकमाराम		सरकार
जरिये अधिवक्ता श्री रामजीवन विश्नोई	बनाम	जरिये तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—17.01.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 268 / 34.0340 है0 मौजा राणासर खुर्द तहसील नोखडा में अवस्थित है। उक्त आराजी में से दिनांक 25.02.2022 को रकबा 0.3276 है0 एवं 0.2412 है0 कुल रकबा 0.5688 है0 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण हेतु तहसीलदार नोखड़ा के सामने मय नजरी नक्शा के समर्पण प्रस्ताव पेश किया। उक्त समर्पण प्रस्ताव तहसीलदार नोखड़ा द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त समर्पण के पश्चात् प्रार्थीगण के खसरा संख्या 469 / 268 / 7.3568 है0, 470 / 268 / 26.1084 है0 मौजा राणासर खुर्द में कायम किये गये। जिसमें से दिनांक 25.02.2022 को समर्पित भूमि को खसरा संख्या 468 / 268 / 0.2412 है0 आवंटित किया गया। उक्त आराजी में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में सी से डी स्थान पर किया जाना अपेक्षित था। परंतु राजस्व काम्रिकों द्वारा समर्पण आदेश के विपरीत प्रार्थीगण के रास्ते हेतु समर्पित आराजी खसरा संख्या 468 / 268 की तरमीम ए से बी स्थान पर किये जाने से मौका एवं लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई। अतः समर्पण आदेश दिनांक 25.02.2022 की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना—पत्र पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट तलब की गई। उक्त मौका रिपोर्ट पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 1853 दिनांक 12.12.2024 द्वारा प्रेषित की गई। उक्त रिपोर्ट का उद्धरण निम्नानुसार हैः—

- आराजी खसरा संख्या 468 / 268 रकबा 0.2412 है0 की तरमीम वर्तमान चलायमान रास्ते के अनुसार की गई
- आराजी खसरा संख्या 268 रकबा 34.0340 है0 में समर्पित आराजी खसरा संख्या 468 / 268 रकबा 0.2412 है0 मौके पर चालू उक्त रास्ते की राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम समर्पण आदेश के अनुसार की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:04 IST
Reason: SelfAttested

- मौके पर चालू रास्ते की तरमीम समर्पण आदेश के अनुसार सही की गई है।

3. प्रकरण में मूल खसरा संख्या 268 प्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज है। मूल खसरा संख्या 268 के सभी खातेदारों द्वारा 0.5688 है0 भूमि रास्ते हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित की थी। उक्त समर्पण के पश्चात् मूल खसरा संख्या 268 से नवीन खसरे 469 / 268 व 470 / 268 कायम किये गये हैं। मूल खसरा संख्या 268 से नवीन खसरे 469 / 268 व 470 / 268 प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त समर्पण के तहत तहसीलदार नोखड़ा द्वारा आदेश दिनांक 25.02.2022 को अमलदरामद करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में समर्पण आदेश दिनांक 25.02.2022 के अनुसार की गई तरमीम को मौके के अनुसार परिवर्तित करवाने का निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में मूल खसरा संख्या 268 से नवीन खसरे 469 / 268 व 470 / 268 के सभी खातेदार प्रार्थीगण समर्पण आदेश दिनांक 25.02.2022 के अनुसार की गई तरमीम को मौके के अनुसार परिवर्तित करवाने हेतु सहमत हैं। प्रकरण में केवल तरमीम परिवर्तित की जानी है। तरमीम परिवर्तन से प्रभावित होने वाले सभी पक्षकारान सहमत हैं। तरमीम दुरूस्ती के पक्षकारान व राज्य सरकार का रकबा परिवर्तित नहीं हो रहा है। अतः मूल खसरा संख्या 268 से नवीन खसरे 469 / 268 व 470 / 268 के मध्य कट्टान रास्ते के खसरे 468 / 268 की तरमीम मौके के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण उक्त प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार नोखड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि मूल खसरा संख्या 268 से समर्पण आदेश 25.02.2022 की पालना पश्चात् नवीन खसरे 469/268 व 470/268 के मध्य कट्टान रास्ते के खसरे 468/268 की तरमीम बिना रकबा परिवर्तित किये मौके के अनुसार दुरूस्त की जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:04 IST
Reason: SelfAttested